नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत शामली के क्षेत्रान्तर्गत खनन परिवहन शुल्क विषयक उपविधि के अन्तर्गत वसूली का ठेका दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक के लिए दिनांक 19.03.2020 को गोहरनी स्थित कार्यालय जिला पंचायत शामली में मध्यान्ह 12 बजे से नीलाम किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता को नीलाम से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र, रूपये बीस लाख का हैसियत प्रमाण पत्र के साथ–साथ जमानत के रूप में रू0 5,00,000/–(पाँच लाख रू0) का बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी के पक्ष में होगा, जमा करना होगा। ठेके की धनराशि रू0 1 करोड तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एक मुश्त आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य सचिव, पचांयती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक संख्या 623/33–2–2018–114जी/टी0सी0 दिनांक 15.02.2018 के अनुपालन में खनन परिवहन शुल्क वसूली केवल वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत वैध खनन उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये की जायेगी। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गो पर वसूली नही की जायेगी। उद्गम स्थल एवं अन्य संबंधित शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत में अथवा www.shamli.nic.in पर देखी जा सकती है। उक्त तिथि को नीलाम न होने की दशा में पुनः नीलाम दिनांक 24.03.2020 एवं अग्रेत्तर 30.03.2020 को मध्यान्ह 12 बजे किया जायेगा।

(मुकेश जैन)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

कार्यालय जिला पंचायत, शामली।

पत्रांक– 801 /जि0पं0शा0/2019–20 दिनांक– 29-2-2020

प्रतिलिपि–

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, शामली को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी शामली को सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति एवं नीलाम शरायतों को शासकीय वेबसाईट www.shamli.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
6. नीलाम समिति के सदस्य कार्य अधिकारी/अभियंता/वित्तीय परामर्शदाता को इस आशय के साथ कि वह नीलाम के समय से सम्पन्न कराये।
7. संपादक दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण', 'अमर उजाला' एवं 'दैनिक जनवाणी' शामली को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
8. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

Scanned with CamScanner